REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 11 | ISSUE - 10 | JULY - 2022

जीएसटी की अवधारणा एवं भारतीय समाज में इसका आर्थिक प्रभाव – तथ्यों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।

अनिषा लकड़ा
सहायक अध्यापक, राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय अम्बिकापुर.

सार

भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के कार्यान्वयन पर टास्क फोर्स द्वारा 2004 में जीएसटी पर विचार किया गया, जिसे केलकर समिति नाम दिया गया । जीएसटी को वस्तु और सेवा कर के रूप में भी जाना जाता है,जिसे एक देश के आर्थिक विकास में वृद्धि के समर्थन के लिए डिजाइन किए गए विशाल अप्रत्यक्ष कर संरचना के रूप में परिभाषित किया गया है। जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं पर पूरे भारत में लगाया जाने वाला एक समान राष्ट्रीय कर है। जीएसटी में सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर इत्यादि शामिल है। एक देश के अर्थव्यवस्था में सम्मिलित किया जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर एक विशाल अवधारणा है,जो एक देश के आर्थिक विकास का समर्थन व वृद्धि करके विशाल कर संरचना को सरल बनाता है । कर प्रणाली किसी भी विकासशील राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है ,कर संग्रहण के माध्यम से उत्पन्न राजस्व उस राष्ट्र की सबसे बड़ी आय स्त्रोत होती है। भारत में भी कर संग्रहण से प्राप्त राजस्व सामाजिक कल्याण गतिविधियों के लिए आय का सबसे बड़ा स्त्रोत है। भारत में टैक्स का निर्धारण केन्द्र और राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर करते हैं।

भूमिका

चूँकि इस पर सबसे पहले केलकर समिति की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष कर की रिपोर्ट में चर्चा की गई थी,13 साल के लंबे सफर के बाद देश में जीएसटी लाया गया। भारत में जीएसटी को अपनानें का विचार पहली बार 2000 में अटल बिहारी वाजपयी सरकार द्वारा सुझाया गया था । जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत आम बाजार बना देगा । 1 जुलाई 2017 के संसद के सेंट्रल हॉल में एक समारोह में नई प्रणाली शुरू की गई थी , जो एक राष्ट्र, एक कर,एक बाजार के सिद्धांत का प्रतीक है, जिसका उददेश्य देश की +2 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 1.3 बिलियन लोगों को आम बाजार में एकीकृत करना है। जीएसटी एक ही कराधन व्यवस्था के तहत अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। तथा जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक एक ही कर है । जीएसटी के तहत ,वस्तुओं और सेवाओं कों 5 प्रकार के श्रेणियों के अन्तर्गत रखा गया है 0-0.25%,5%,12%,18% और 28%। कॉरपोरेट के लिए कई करों को समाप्त करने से व्यवसाय करने में आसानी होगी । और उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा लाभ वस्तुओं पर कुल कर बोझ में कमी होगी । महंगाई कम होगी, टैक्स से बचना मुश्किल होगा और अतिरिक्त संसाधनों का इस्तेमाल गरीब और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए होगा । वर्तमान व्यवस्था की खामियों को दूर करते हुए

इसका उददेश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना भी है। यह पूरे भारत में सभी राज्यों के लिए अप्रत्यक्ष करों को सरल व एकीकृत करके किया गया है।

अध्ययन के उददेश्य

1. भारत में जीएसटी की आवश्यकता का अध्ययन करना।
2. भारत के विकास में जीएसटी का योगदान का अध्ययन करना।
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभावो का अध्ययन करना ।
4. भारत में जीएसटी की अवधारणा ,प्रकारो,दरों व विशेषताओं का अध्ययन करना ।
5. भारत में जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में राजस्व संग्रहण का अध्ययन करना ।
6. भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

परिकल्पना रू शून्य परिकल्पना

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास और जीएसटी से राजस्व संग्रहण के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
2. मध्यम और छोटे उद्योगों की प्रगति और जीएसटी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

साहित्य समीक्षा

1. अलंकित '' टाईपस ऑफ जीएसटी'' 2020 में जीएसटी के विभिन्न प्रकार जिसमें केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) , राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST), केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (UTGST) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) इत्यादि का उल्लेख किया है।
2. अमनदीप कौर, ''गुडस एंड सर्विस टैक्सः इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन इंडियन इकोनामी '' 2018 में बताया कि भारत में जीएसटी सरल व एकीकृत कर व्यवस्था का निर्माण करेगी, जो कि मौजूदा कराधान व्यवस्था में व्याप्त कमियों को दूर करेगी।
3. अखिल भारतीय आईटीआर ,''जीएसटी इम्पैक्ट डिफरेंट इंडसट्रिस'' 2017 में जीएसटी के प्रभाव को ई–कॉमर्स उद्योग ,फार्मस्यिूटिकल्स उद्योग ,दूरसंचार उद्योग, कपड़ा उद्योग,कृषि उद्योग, ऑटो मोबाइल सेक्टर ,मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इत्यादि उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है।
4. नितिन कुमार 2014 , ने अपने शोध अध्ययन '' वस्तु एवं सेवा कर आगे की ओर उन्मुख'' में निष्कर्ष के रूप में यह बताया कि भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन को वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली द्वारा आर्थिक विरूपण हटाने में मदद मिली है और अपेक्षाकृत अप्रत्यक्ष कर ढॉचे को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

अध्ययन विधि

अध्ययन की विधि विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक है। इस अध्ययन में मुख्यतः द्वितीयक ऑकडों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन सामग्री की प्राप्ति शोधग्रन्थों ,संदर्भ ग्रन्थों एवं प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों, आलेखों से की गई है तथा तथ्यों का विवेचन प्रामाणिक ढंग से किया गया है।

जीएसटी की अवधारणा

जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे।

चुंगी,सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी),राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट,एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप डयूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फ्री, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या ब्रिकी पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया गया है।

जीएसटी के प्रकार

1. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर
2. राज्य वस्तु एवं सेवा कर
3. केन्द्रशासित प्रदेश वस्तु सेवा कर
4. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर

1. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर ;ब्ळैज्द्ध

CGST को एक राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन पर लगने वाले केन्द्रीय कर के रूप में संदर्भित किया जाता है। केन्द्र सरकार लागू राज्य कर, CST आदि सहित अन्य सभी करों को बदलना सुनिश्चित करता है। CGST के तहत वस्तुओं और सेवाओं की कीमत मूल बाजार मूल्य के अनुसार ली जाती है।

2. राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST)

SGST करे प्रत्येक राज्य की वस्तुओं और सेवाओं के लेन–देन पर लगाए गए करों में से एक के रूप में परिभाषित किया गया है। हर राज्य की राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला SGST हर मौजूदा राज्य कर की जगह लेता है। जिसमें ब्रिकी कर,मनोरंजन कर, वेट (VAT) प्रवेश कर आदि शामिल है। SGST के तहत राज्य सरकार अर्जित राजस्व का दावा कर सकती है।

3. केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु सेवा कर (UTGST)

केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं और सेवाओं की अंतर केन्द्र शासित प्रदेशो में आपूर्ति पर लागू होते है। केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु सेवा कर लगाने का उददेश्य SGST के समान कर संग्रह लागू करना है। केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु सेवा कर पांच केन्द्र शासित प्रदेशो दमन और दीव ,दादरा और नगर हवेली , अंडमान, और निकोबार द्वीपसमूह और चडीगढ़ पर लागू है।

4. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (प्ळैज)

IGST वस्तुओ और सेवाओं के अंतर–राज्यीय लेन–देन पर लागू होता है। IGST उन वस्तुओं पर भी लागू होता है जिन्हें सबंधित राज्यों में वितरित करने के लिए आयात किया जाता है। IGST तब लगाया जाता है जब उत्पादों और सेवाओ की आवाजाही एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है।

जीएसटी की मुख्य विशेषताएँ

1. वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं की ब्रिकी अथवा सेवाओं के प्रावधान पर वर्तमान अवधारणा के विपरीत वस्तुओं और या सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लागू है।
2. जीएसटी गंतव्य आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है , जबकि पूर्ववत् कराधान सिद्धांत मूल आधारित था।
3. यह केन्द्र और राज्य के साथ–साथ एक समान आधार पर कर लगाने वाला दोहरा जीएसटी है। केन्द्र दवारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केन्द्रीय जीएसटी कहा जाता है और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी कहा जाता है।
4. एक एकीकृत जीएसटी एक अंतर राज्य वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है जो भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। और इस तरह के कर को जीएसटी परिषद की सिफारिश पर संसद द्वारा कानून पारित करके संघ और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।

5. जीएसटी निम्नलिखित करों की जगह लिया है

(a) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
(b) उत्पाद शुल्क (औषधीय)
(c) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएँ)
(d) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र और वस्त्र उत्पाद)
(e) सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (आमतौर पर सीवीडी के रूप में जाना जाता है।
(f) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)
(g) सेवा कर
(h) उपकर और अधिभार जहां तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में संबंधित है।

6. निम्नलिखित राज्य कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा।

(a) राज्य वैट (STATE VAT)
(b)केन्द्रीय राज्य कर
(c) खरीद कर
(b)लक्जरी कर
(e)प्रवेश कर
(f)मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाया गए को छोड़कर)
(g)विज्ञापनों पर लगाया कर
(h)लॉटरी, सट्टेबाजी व जुआ पर लगाया गया कर ।
(i)राज्य उपकर और अधिभार जहॉ तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है।
7. मानव उपभोग के लिए शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लागू है।
8. पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल,पेट्रोल,डीजल,एटीएस और प्राकृतिक गैस) पर जीएसटी, जीएसटीसी (GSTC)द्वारा अनुशासित तारिख से लागू होगी ।
9. एक सामान्य सीमा छूट CGST और SGST दोनों पर लागू होगी। करदाता जिसका वार्षिक करोबार 20 लाख रूपये से अधिक नहीं है (विभिन्न क्षेणी के राज्यों के लिए 10 लाख रूपये) जीएसटी के लिए छूट दी गई है।
10. वस्तुओं और सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

भारत में जीएसटी टैक्स स्लैब दरें जीएसटी दरें पांच प्रकार की है

1. 0.25%
2. 5%
3. 12%
4. 18%
5. 28%

Gst Slab Rates	Product
0.25%	इस स्लैब मे कटे और अर्ध–पॉलिस किए गए पत्थरों को शामिल किया गया है।
5%	चीनी, तेल, मसाले, कॉफी, कोयला, उर्वरक, चाय, आयुर्वेदिक, दवाएँ, अगरबत्ती, कटा हुआ सूखा आम, काजू, मिठाई, हस्तनिर्मित कोलीन ,लाइफबीट, मछली–पट्टिका,गैर–ब्रांडेड नमकीन और जीवन राक्षक दवाएँ शामिल हैं।
12 %	सेल फोन,सिलाई मशीन,छाता ,ज्वेलरी बाक्स, प्रसंस्कृल खाद्य जैसे जमे हुए मांस,

	फलों के रस ,मक्खन ,पनीर, घी आदि शामिल है।
18%	हेयर ऑयल ,सेक्टी ग्लास,पास्ता,पेस्ट्री,आइसक्रीम,मिनरल वॉटर,हेयर शैम्पू,ऑयल,पाउडर,वॉटर हीटर,वाशिंग मशीन, डिटर्जेंट ,खूशबूस्प्रे ,चमडे के कपड़े, कुकर,कटलरी,दूरबीन,कृत्रिम फूल,कलाइघड़ी,सूटकेस ,ब्रीफकेस,फर्नीचर,स्टेशनरी आइटम,मैटर्स मॉनिटर,टेलीविजन स्क्रीन,लिथियम आयन बैटरी ,विडियो गेम कवर आदि शामिल है।
28%	कार ,सिगरेट ,टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद ,हाई–एंड मोटरसाइकिल, वजन मशीन, सीमेंट आदि शामिल हैं।
GST SLAB RATES	**SERVICES**
5%	एयर फ्राक्टलीजिंग,क्रूड और पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट ,इकोनामी क्लास यात्री वायु परिवहन, अखबार की छपाई ,कैब और रेडियों द्वारा यात्री परिवहन ,एसी और नॉनएसी दोनों तरह के रेस्तरां ,लेदर और फुटवियर के सामान में किया गया जॉब वर्क , प्रिंट मीडिया में एड स्पेस सेलिंग, टेलरिंग, टेकअवे क्रूड, 50 लाख के टर्न ओवर वाले रेस्टोरेंट ।
12%	इकोनामी क्लास के अलावा हवाई यात्रा, कॉमन एफलुएंट ट्रीटमेंट पैंट ,मूवी टिकट, ब्रिकी के लिए होटल निर्माण 7000 प्रति कमरा शुल्क के साथ ,अस्थायी आधार आईपी अधिकार, कच्चे या प्राकृतिक गैस खनन और ड्रिलिंग ।
18%	आउटडोर कैटरिंग, थीम पार्क, वाटर पार्क, सर्कस, लोक ,थिएटर, ड्रामा क्लाससिकन, आईटी सेवाए।
28%	फाइव स्टार होटलों में भोजन / पेय /ठहराना, क्लब हाऊस में सट्टा और जुआ, 5000 रूपये से अधिक होटल, या गेस्ट हाऊस में रूम, सिनेमा।

वर्षिक आय	नई कर स्लैब दर	पुरानी कर स्लैब दर
0 से 2.5 लाख रूपये तक	छूट	छूट
2.5 लाख रूपये से ऊपर 5 लाख रूपये तक	5%	5%
2.5 लाख रूपये से ऊपर 5 लाख रूपये तक	10%	10%
5 लाख रूपये से ऊपर 7.5 लाख रूपये तक	15%	20%
7.5 लाख रूपये से ऊपर 10 लाख रूपये तक	20%	30%
10 लाख रूपये से ऊपर 12.5 लाख रूपये तक	25%	30%
12.5 लाख रूपये से ऊपर 15 लाख रूपये तक	25%	30%
15 लाख रूपये से अधिक	30%	30%

जीएसटी लागू होने से पहले और बाद में राजस्व संग्रहण का विश्लेषण

1. जीएसटी लागू होने से पहले

कर घटक प्रकार	FY 2016-17 (करोड़ में)
A. कुल राजस्व प्राप्तियॉ	
1. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियॉ	8,49,801
2. गैर कर प्राप्तियॉ	5,06,721
3. सहायता अनुदान और योगदान	1,299
4. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियॉ	8,66,167
B. विविध पूँजी प्राप्तियॉ	47,743
C. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियॉ	61,34,137
D. ऋणो और अंग्रिमो की वसूली	40,971
भारत सरकार की प्राप्तियॉ (A+B+C+D)	84,46,839

2. जीएसटी लागू होने के बाद

कर घटक प्रकार	FY 2017-18 (करोड़ में)
A . कुल राजस्व प्राप्तियॉ	
5. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियॉ	10,02,738
6. गैर कर प्राप्तियॉ	4,41,383
7. सहायता अनुदान और योगदान	3,582
8. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियॉ	9,16,445
B.विविध पूँजी प्राप्तियॉ	1,00,049
C.सार्वजनिक ऋण प्राप्तियॉ	65,54,002
D.ऋणो और अंग्रिमो की वसूली	70,639
भारत सरकार की प्राप्तियॉ (A+B+C+D)	90,88,838

भारत में जीएसटी की आवश्यकता

1. जीएसटी कर प्रणाली से पहलें करों में विविधता थी, जीएसटी कर प्रणाली लागू से यह एकीकृत हुई।
2. सेवाओं के कई क्षेत्रों में कर नहीं लगता था, जीएसटी लागू होने के बाद उन पर कर लगना शुरू हो गया ।
3. जीएसटी पूर्व जटिल कर संरचना के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करता है और एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार के विकास मे मदद प्रदान किया ।
4. उत्पाद शुल्क,वैट,सीएसटी पद करो का व्यापक प्रभाव पडता है। इसलिए कर ,पर कर का भूगतान करने का अंत हुआ। जीएसटी मौजूदा पूर्व के सभी करों का जगह लिया ।
5. निर्माण या वितरण के स्थान की परवाह किए बिना पूरे क्षेत्र मे करों की एकरूपता प्राप्त किया ।
6. करों को अधिक निश्चितता और पारदर्शिता प्रदान करता है।
7. पूरे देश में कर अनुपालन सुनिश्चितता करता है।
8. जीएसटी से कुछ हद तक दोहरे कराधान से बचा जा सकता है।
9. जीएसटी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है कि भारत एक ऐसी प्रणाली प्रदान करता है जो शेष विश्व के समान है जहां जीएसटी लागू किया गया था।
10. जीएसटी विभिन्न देशी वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लागत प्रतिस्पर्धा भी प्रदान करता है। जीएसटी निष्पक्ष कर संरचना प्रदान करता है जो भारत के भीतर व्यावसायिक प्रक्रियाओं और भौगोलिक स्थानों के लिए तटस्थ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर जीएसटी का प्रभाव

जीएसटी का सकरात्मक प्रभाव

1. विदेशी निवेश में वृद्धि :– जीएसटी के साथ भारत अब एक एकीकृत बाजार है और भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। कम लागत के कारण भारत के भीतर के निर्मित होने वाले सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा हो गए है जिससें निर्यात में वृद्धि हुई है । वस्तु और सेवा कर का कार्यान्वयन भारत को अंतरर्राष्ट्रीय कर मानवों के अनुरूप रखता है जिससे भारतीय व्यवसायों के लिए वैश्विक बाजार में ब्रिकी करना आसान हो जाता है।

2. कम कर–जीएसटी के दो घटक है – केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी। सर्विस टैक्स ,सेन्ट्रल उत्पाद शुक्ल और सीमा शुक्ल की जगह केन्द्रीय जीएसटी ने ले लिया जबकि राज्य वैट, केन्द्रीय ब्रिकी कर , विज्ञापनों पर कर, विलसिता कर, परचेज टैक्स ,मनोरंजन कर इत्यादि की जगह राज्य जीएसटी, ने ले लिया। जीएसटी से पहले बहुत सारे कर टैक्स और अब इन्होंने इन सभी टैक्सों और कर्तव्यों को केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी बदल दिया ।

3 व्यापार करने की लागत में कभी – जीएसटी ने पूरे भारत में वैट को बदल दिया है। अब हमें अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी राज्यों के लिए एक कर प्रणाली है। इसलिए हमने अपने व्यवसायों पर विभिन्न करों और शुल्कों से छुटकारा पा लिया।

4. पारदर्शिता – कर प्रशासन ने भ्रष्ट्राचार मुक्त काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही लागू किए गए कर को दिखाने के लिए ब्रिकी चालान को सक्षम करने से पारदर्शिता आई है।

जीएसटी का नकरात्मक प्रभाव

1. दोहरा नियत्रण – जीएसटी को एकल कराधान प्रणाली के रूप में संदर्भित किया गया है लेकिन वास्तव में यह एक दोहरा कर है क्योकि राज्य और केंन्द्र दोनों ब्रिकी और सेवा के एकल लेनदेन पर अलग–अगल कर एकत्र करते है।

2. कुछ वस्तुओं के मौजूदा लागत में वृद्धि – कई उत्पादों के लिए कर की दर में वृद्धि की गई है, इस प्रकार उनकी लागत मे वृद्धि हुई ।

3. कुछ क्षेत्र घाटे में है – कपड़ा, मीडिया ,फार्मा, डेयरी उत्पाद ,आईटी और दूरसंचार उच्च कर का खामियाजा भुगत रहे है। साथ ही गहने, मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड जैसी वस्तओं की कीमत में भी वृद्धि हुई है।

4. अचल संपत्ति बाजार प्रभावित – अर्थव्यवस्थाओं की राय है कि भारत में जीएसटी का पहले से ही अचल संपत्ति बाजार पर नकरात्मक प्रभाव पड़ा है। इसने नए घरों की लागत में 8% तक की वृद्धि की है और मांग में लगभग 12% की कमी की है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर जीएसटी का प्रभाव

1. खुदरा विक्रेताओं वितरकों और विनिर्माता क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव :– वस्तु व सेवा कर ने भारत के खुदरा विक्रेताओं वितरकों और विनिर्माण क्षेत्रों में कार्य निष्पादन और प्रतिस्पर्थात्मकता को बढ़ाया है। निर्यात में कमी और उच्च खर्च इस क्षेत्र की चिंताओं का केवल एक हिस्सा है। विभिन्न अप्रत्यक्ष कर पहले स्थापित किए गए है और वितरकों और विनिर्माताओं के लिए खर्चों में वृद्धि हुई है। वस्तु और सेवा कर प्रणाली स्थापित किए जाने के साथ पुराने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की समस्याओं का लोप हो रहा है और इस क्षेत्र का विकास बहुत बेहतर होगा।

2. कृषि क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव :– कृषि सेक्टर पर जीएसटी का प्रभाव या कृषि पर जीएसटी का प्रभाव सकारात्मक है। कृषि सेक्टर समग्र भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 16 % को शामिल करता है। वस्तुओं और सेवाओ कर की शुरूआत ने समाज के विभिन्न क्षेत्रो को प्रभावित किया है। कृषि क्षेत्र द्वारा देखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा भारत के सभी राज्यों में कृषि वस्तुओं के परिवहन है। वस्तु और सेवा कर के संबंध में परिवहन कृषि क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संभावित मुद्दा हो सकता है। वस्तु और सेवा कर कृषि वस्तुओं के लिए अपने प्रथम राष्ट्रीय बाजार का निमाण करने में भारत को सहायता कर सकता है।

3. वस्त्र क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव :– यह नई प्रणाली उनके लिए लाभप्रद है। वस्त्र क्षेत्र को जिन लाभों ने वस्त्र क्षेत्र को दिया है, उनमें से कुछ हैः निवेशेर क्रेडिट या आईटीसी या आईटीसी फ्रेमवर्क या श्रृंखला । इनपुट कर क्रेडिट या आईटीसी वर्तमान में पूंजीगत वस्तु पर उपलब्ध है। परिवहन की लागत वर्तमान में पिछले कर प्रणाली के मुकाबले कम है।

4. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव :– यद्यपि सेवाओं के लिए वस्तु और सेवा कर की दर 18 प्रतिशत तक बढ़ी है, जबकि पुराने प्रणाली प्रणाली के मुकाबले सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र जीएसटी लाभ क्षेत्रों में से एक है। इनपुट कर क्रेडिट या आईटीसी की उपलब्धता जैसे विभिन्न कारकों से परिचालन व्यय कम हो जाएगा और परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सामान्य उत्पादकता बढ़ेगी। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर जीएसटी के प्रभाव के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैः

1. सरल कर दर प्रशासन
2. करों के दुगुना कर प्रभाव को हटाना
3. व्यापार पुनर्गठन
4. ई–कॉमर्स
5. जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में अवसर

5. बैंकिंग क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव :– जीएसटी के लागू होने के बाद बैंकिग क्षेत्र अधिक महंगा बन गया है। पहले बैंकिग क्षेत्र के लिए सेवाओं की दर 15 प्रतिशत थी। फिर भी जीएसटी के लागू होने के बाद सभी बैंकिंग क्षेत्रों पर कर दर 18 प्रतिशत तक बढ़ी है। बैंकिंग क्षेत्र पर जीएसटी के कुछ प्रभाव हैः

1. बैंको के प्रत्येक अलग भाग में अलग पंजीकरण होना चाहिए।
2. आपूर्ति स्थान पहचान
3. सीजीएसटी और एसजीएसटी पर निर्भरता
4. बैंकों के बीच संव्यवहार निःशुल्क नहीं हैं।
5. जीएसटी में निवेश कर क्रेडिट या आईटीसी

6. होटल और पर्यटन पर जीएसटी का प्रभाव :– पर्यटन और होटल उद्योग से अर्जित आय भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारत की सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में मदद करती है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा अपने राज्य की यात्रा अद्योग को बढ़ाती है। टैरिफों के परिणास्वरूप रेसिस्टों के लिए जीएसटी की दर अलग–अलग होती है। सामान और सेवाएं होटलों के लिए कर दरं 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी कमरे की दर पर निर्भर करती है।
1. यदि शुल्क 1,000रू.से कम है,तो कोई जीएसटी नही होगा।
2. यदि शुल्क 1,000रू से 7,500रू के बीच है,तो 12 लगाया जाएगाा।
3. यदि शुल्क रू.7,500 से अधिक है तो 18% जीएसटी लगाया जाएगा।

पिछले प्रणाली के तहत बहुविध करों के मुकाबले जीएसटी एक एकल कर दर लाया है। यह उद्योग के लिए आसान किया है और ग्राहको को भी स्पष्टता प्रदान करता है। तो कहते हैं कि होटल और पर्यटन उद्योग जीएसटी से लाभन्वित होने वाले क्षेत्रों में से एक है ।

7. मनोरंजन उद्योग पर जीएसटी का प्रभाव :– मनोरंजन उद्योग जीएसटी लाभ क्षेत्रों में से एक है। जीएसटी लागू होने से पहले मनोरंजन क्षेत्र में कई कर थे। वे एक कर या शुल्क तक सीमित नहीं है। वे राज्य कर, केंद्रीय कर और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कर शामिल थे। हालांकि जब जीएसटी आरंभ हुआ तो वे केवल एक कर में ले गए।

जीएसटी 18% से 28% के बीच चलता था। कर दर प्रदान किए गए मनोरंजन सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करती थी।

18: जीएसटी के तहत की चीजेः

1. चलचित्र टिकट
2. टेलीविजन और डीटीएच सेवाएं
3. रंगमंच
4. सर्कस

28 प्रतिशत जीएसटी के तहत की चीजेः

1. खेल आयोजन
2. रेसिंग
3. चलचित्र कार्यक्रम और उत्सव
4. मनोरंजन पार्क
5. कैसिनो

8. ऑटोमाबाइल सेक्टर पर जीएसटी का प्रभाव :– सामान और सेवा कर लागू होने के बाद उत्पाद शुल्क, वॅट (VAT) बिक्री कर और सड़क कर जैसे बहुत से करों ने एक एकीकृत सामान और सेवा कर के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। इससे ऑटोमोबाइल सौदे में वृद्धि हुई। बहुत से बड़े ऑटोमोबाइल ब्रांडो ने वर्ष 2018 और

2019 में रिकॉर्ड विकास का अनुभव किया, ग्राहको ने इसे वाहन खरीदने के लिए आदर्श अवसर माना। इस प्रकार , ऑटोमोबाइल एक लाभ अन्य जीएसटी क्षेत्रों में है।

9. निर्यात–आयाम क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव :– जीएसटी लागू करने से पहले , आयात और निर्यात का प्रशासन सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क ,मूल्य सवंर्धित कर और सेवा कर द्वारा किया जाता था, इन सभी करों को जब जीएसटी प्रस्तुत किया गया था, तो एक के रूप में एक के रूप में रखा गया था। फिर भी, बीसीडी या मूल सीमा शुल्क आयात बिलों को खा रही है।

आईजीएसटी उन सभी करों को शामिल करता है,जो सामान और सेवा कर से पहले वस्तुओं और सेवाओं के आयात का प्रशासन कर रहे थे। ये कर थेः

1. सीवीडी या प्रतिकर शुल्क
2. एसडीए या विशेष अतिरिक्त शुल्क

जब आईजीएसटी लागू किया गया था, तबः

1. निर्यात एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के अनुसार शून्य–मूल्यांकित हो गया ।
2. राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस कर्तव्य का भागीदार हैं।

10. शिक्षा सेक्टर पर जीएसटी का प्रभाव जब भी किसी देश के विकास और विकास के बारे में बातचीत होती है, उस देश के शिक्षा क्षेत्र की मजबूती पर विचार किया जाता है। शिक्षा क्षेत्र जीएसटी लाभ क्षेत्रों में से एक है। लोगों की शिक्षा एक राष्ट्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ऐसे में, सरकार ने नए वस्तु और सेवा कर प्रणाली मे शिक्षा से संबंधित संस्थाओं को शुल्क या कर से वंचित रखने का प्रयास किया है। इसमें किसी भी शिक्षा संगम द्वारा अपने कर्मचारियों, संकाय और विद्यार्थियों को दिए गए सेवाएं शामिल है।

11. रियल इस्टेट पर जीएसटी का प्रभावः– इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में अच्छी वृद्धि हुई है और यह एक विशाल व्यापार क्षेत्र रहा है। यह एक ऐसा उद्योग है जो आमतौर पर कर दरों पर निर्भर करता है। स्थावर संपत्ति पर वस्तु और सेवा कर ने अधिक उत्पादक गतिविधियों को लाया है और अनेक नए ब्रांड सामने आए हैं। तत्पचात् इन ब्रांडो ने देश की अर्थव्यवस्था में भारी मदद की है। इसलिए यह भी, जीएसटी से लाभ उठाने वाले क्षेत्रों में से एक रहा है।

12. ऊर्जा सेक्टर पर जीएसटी का प्रभावः– ऊर्जा क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था में अनिवार्य उद्यमों मे से एक है क्योंकि बिजली प्रत्येक व्यापार गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्षेत्र को वस्तु और सेवा कर के दायरे से बाहर रहने से शेष अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। यह वस्तु और सेवा कर के लागू होने से प्राप्त होने की आशा की लाभों के एक क्षेत्र को अस्वीकार करता है। अंततः वस्तु और सेवा कर का प्रभाव संभवतः लागत में कमी से दूर हो जाएगा। हमें आर्थिक विकास को सक्षम रखने के लिए करों में कमी की सहायता से समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र GST लाभ उठाने वाले क्षेत्रों में से एक नहीं है।

13. इस्पात और इस्पात उत्पादन पर जीएसटी का प्रभाव :– इस्पात और इस्पात के उत्पादन पर तीन प्रकार के कर लागू किए गए थे। ये शुल्क थेः–

1. 2 % सीएसटी या केंद्रीय बिक्री कर
2. 5 % वैट या मूल्य सवंर्धित कर
3. 12.5 % उत्पाद शुल्क

जब हम देखते हैं कि पुराने प्रणाली में इस्पात पर 19.5% की कुल सकल कर बाध्य किया जाता है । इस्पात और इस्पात के तहत अधिकांश उत्पादित वस्तुएं 12 और 18 प्रतिशत श्रेणी में आती है, जबकि कुछ वस्तुएं 28 प्रतिशत श्रेणी में आती है। इसलिए हम देखते हैं कि इस्पात और इस्पात उद्योग इस्पात और इस्पात से लाभ उठाने वाले क्षेत्रों में से एक है।

14 सेवा क्षेत्र पर जीएसटी का प्रभाव :– यह कोई समाचार नहीं है कि सेवा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण लाभ और कुछ कमियों का प्रतिनिधित्व करेगा। कई सेवा क्षेत्रों ने इस नए कर प्रणाली के प्रस्तुतीकरण के साथ

समायोजन करते हुए बहुत से परिवर्तनों के कारण प्रसन्न है। आप विश्वास कर सकते हैं कि इस नए कर संग्रहण ढांचा के द्वारा भी सभी व्यक्तियों पर प्रभाव डालेगा और केवल व्यापार पर ही नहीं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सेवा क्षेत्र पर जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. सेवा क्षेत्र पर जीएसटी के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैः

1. दोहरा कराधान नहीं
2. मरम्मत और रखरखाव के लिए आसान कर
3. स्टॉक में रखे गए इनपुटों तक पहुँच
4. सेवा प्रदाताओं के लिए कम लागत
5. यह सभी राज्यों में समानता लाएगा
6. इनपुट की लागत गिरने की संभावना है।

जीएसटी पर कोविड–19 का प्रभाव कोरोना वायरस महामारी की जीएसटी पर बहुत बुरी मार पड़ी है,वित्त वर्ष 2020–21 में जीएसटी संग्रह मे 2.35 लाख करोड़ रूपए की कमी रही है, अहम ये भी है कि इसमें` केवल 97,000 करोड़ रूपए की कमी का कारण जीएसटी क्रियान्वयन है, शेष कमी का कारण माहामारी है।

जीएसटी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियॉ

01 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत में लागू हुआ। इसमे बहुत सारी व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जीएसटी भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा राष्ट्रीय टैक्स व्यवस्था है। केन्द्रीय और राज्य करों को समाहित करके जीएसटी को लागू करना आसान कार्य नहीं था। इसमें तकनीकी, लॉजिस्टिक और आईटी चुनौतियॉ अत्यधिक जटिल थी।

भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियॉ

1. जीएसटी में बड़ी चुनौती छोटे और मध्यम उद्यमों को एकीकृत करने की हुई है।
2. जीएसटी की प्रमुख विशेषताओं में से एक निर्बाध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईओसी)है जो जीएसटी प्रणाली के तहत उपलब्ध होगी। लेकिन निर्बाध क्रेडिट की बहुत सारी मान्यताएॅ है।
3. जीएसटी मूल रूप से संपूर्ण कर संरचना को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसलिए कर को एकल दर का सुझाव दिया गया था । किन्तु यह अनुभव किया गया है कि तकनीकी तौर यह अत्यधिक जटिल हो गया।
4. जीएसटी के कार्यान्वयन में तात्कालिक समय में लॉजिस्टिक समस्या थी। जीएसटी अधिनियम पर भारत के सभी राज्यों में सहमति नहीं बन पा रही थी।
5. जीएसटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आईटी से जुड़ी हुई थी।

निष्कर्ष

जीएसटी का कार्यान्वयन भारतीय सरकार द्वारा लिए गए सर्वोत्तम निर्णय में से एक था। मेरी पहली शून्य परिकल्पना ''भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास और जीएसटी से राजस्व संग्रह के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं हैं ।'' गलत सिद्ध हुआ। क्योंकि जीएसटी लागू होने FY 2016-17 तुलना में FY 2017-18 मे 06,42,001 करोड़ रूपये अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई। जिसका प्रयोग सरकर द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए हुआ है। मेरी दूसरी शून्य परिकल्पना ''मध्यम और छोटे उद्यमों की प्रगति और जीएसटी के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।'' भी गलत सिद्ध हुआ है। चूॅकि शुरूआत में माध्यम और छोटे उद्योगों को समस्या हुई । किन्तु बाद मे माध्यम और छाटे उद्योगों के कर व्यवस्था को जीएसटी ने सरल व एकीकृत करने का कार्य किया। जिससे मध्यम और छोटे उद्यमों की प्रगति हुई।

एक एकल कराधान प्रणाली नए व्यवसायों और उद्यमियों को सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में संग्लन होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऑटो कमार्शयल वाहन की कीमत में आई गिरावट ,दो पहिया वाहन, छोटे कार ,माध्यम कारें और एसयूव, आवश्यक वस्तुऍ ,जूते ,भवन निर्माण सामाग्री आदि और शिक्षा स्वास्थ्य को जीएसटी के बाद

छूट दी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर जीएसटी के बाद कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हुई है। होटल के कमरे का किराया ,रेस्तरा और बढ़िया भोजन और ब्रांडेड परिधान की कीमतों में वृद्धि हुई।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीएसटी अपने पूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और उम्मीद है कि इस सबसे बड़े ऐतिहासिक सुधार के परिणामस्वरूप भारत में व्यापार करने में आसानी होगी।

संदर्भ सूची

1. Ehtisham Ahamad and Satya Poddar (2009),"Goods and Service Tax Reforms & Intergovernmental Consideration in India", ''Asia Research Center'',LSE,2009
2. Dr.R. Vasanthagopal (2011),''GST In India : A Big Leap in the Indirect Taxation System'', International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol,2,No. 2, April, 2011.
3. Pinki, Supriya Kamna , Richa Verma(2014),''Good nd Sercive Tax – Panacea For Indirect Tax System In India'', ''Tactful Management Research Journal'', Vo2, issue 10, July,2014,
4. Nitin Kumar (2014), ''Goods and Service Tax in India-A Way Forwad'', ''Global Journal
5. of Multidisciplinary Studies'', Vol 3, Issud, May2014 .
6. Agog Mawuli (204): ''Goods and Service Tax- An Appraisal'' Paper presented at the the PNG Taxation Research and Review